संख्या : 68/2015/1140/छप्पन-2015-108/2000

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 25 अगस्त, 2015

विषय : नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 388/ना0उ0नि0/2015, दिनांक 13-7-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 के माध्यम से ई0आर0पी0 साफ्टवेयर के विकास तथा तत्सम्बन्धी हार्डवेयर एवं सह-उपकरण क्रय करने, उसका संस्थापन, उसके परिचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण और न्यूनतम आरम्भिक 05 वर्षों के लिए उसका अनुरक्षण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1224(2)/छप्पन-14-108/2000, दिनांक 07-11-2014 के अन्तर्गत रूपये 06,37,07,000-00 (रूपये छः करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई थी। इंगित शर्तों में एक शर्त यह थी कि अधिकृत संस्था यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, उ0प्र0, लखनऊ एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन के मध्य कार्य से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रकरण में यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, उ0प्र0, लखनऊ एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन के मध्य कार्य से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध निम्न शर्तों के अधीन अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास के सम्बन्ध में टेक्निकल बिड आदि की कार्यवाही, कार्यदायी संस्था यू0पी0एल0सी0 द्वारा निदेशालय परिसर में सम्पादित की जाय।

(2) "Scope of Work" हेतु निदेशालय के पत्र दिनांक 12-5-2015 को शामिल किया जायेगा।

(3) यू0पी0एल0सी0 "Excuting Agency" होगी।

(4) शासनादेश संख्या : 23/2015/2156/छप्पन-2014-108/2000, दिनांक 30-3-2015 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रूपये 06,37,07,000-00 (रूपये छः करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र) में सभी कार्यों को पूर्ण किया जाना है तथा इसमें सभी प्रकार की देयता भी सम्मिलित है, जैसे "charges towards Scope of Work" आदि।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) सॉफ्टवेयर का विकास एवं तत्सम्बन्धी हार्डवेयर की स्थापना के साथ-साथ वांछित प्रशिक्षण के कार्यों हेतु यू0पी0एल0सी0 को अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 06,37,07,000-00 (रूपये छः करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र) का उपयोग केवल डिपॉजिट वर्क के रूप में किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा बचत खाता (saving account) में जमा की जायेगी और उस पर प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकीय कोष में जमा की जायेगी।

(7) सॉफ्टवेयर का विकास एवं तत्सम्बन्धी हार्डवेयर की स्थापना में इंगित कार्यों के समय यदि पुरानी सामग्री उपलब्ध होती है तो ह्रासित मूल्य निर्धारित कर प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष जमा कराया जायेगा।

(8) अनुबन्ध में रिक्त स्थानों की पूर्ति, तथ्यों की शुद्धता एवं तकनीकी पहलुओं को अनुबन्ध के पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास एवं तत्सम्बन्धी हार्डवेयर की स्थापना के विभिन्न कार्यों को करने से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(10) प्रश्नगत प्रयोजन हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकीय कोष में यथासमय जमा करना होगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 68/2015/1140(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ।
4- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
5- न्याय अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in